न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/238/2015

उनवान

1. हीरा पिता लादू जाट निवासी भोजरास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. घीसी पुत्री लादू पत्नि मोती जाट निवासी लक्ष्मनपुरा तहसील हुरडज्ञ जिला भीलवाडा
2. धापू पुत्री लादू पत्नी मूलचन्द जाट निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. मिश्री पुत्र लादू जाट निवासी भोजरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 146/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री रामदयाल जाट , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री युगल किशोर व्यास अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी ग्राम भोजरास पटवार क्षेत्र भोजरास तहसील हुरडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1व 2 की पुश्तैनी कृषि आराजियात स्थित है। जिसकी खाता संख्या 862 आराजी नम्बर 757/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 767 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1239 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2853 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 2854 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 3144/1294 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी हक अधिकारों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का सजरा इस प्रकार है :–

लादू

हीरा पुत्र मिश्री पुत्र घीसी पुत्री धापू पुत्री बेवा फौत

2. सजरे के अनुसार खातेदार लादू के फौत हो जाने से वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण मृतक खातेदार लादू के पुत्र पुत्रियों के नाम खुलना चाहिये था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मृतक खातेदार की विरासत की जांच के बिना नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुलवा लिया तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादग्रस्त आराजियात के खातेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व2 का नाम अंकित कर दिया जो कि विधिविरूद्ध होकर निरस्त योग्य है।

3. वादीगण मृतक खातेदार लादू की पुत्रियॉ होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बहने हैं व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक का समान 1/4 हक हिस्सा निहित है। इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण प्रत्येक 1/4 हक हिस्से की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार है इसी हक हिस्से अनुसार घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादीगण ने दिनांक 6 मार्च 2013 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का भोजरास से वादग्रस्त आराजियात की हाल जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया तो वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1व 2 के नाम होने की जानकारी हुई। तत्पश्चात वादीगण ने नामान्तरकरण संख्या 1679 ग्राम भोजरास की नकल प्राप्त की जिससे वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से पटवारी/राजस्व कर्मचारियों को मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों के बारे में गलत सूचना देकर विधिविरूद्ध नामान्तरकरण खुलवाया है। जिस पर वादीगण ने दिनांक 12.3.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व2 से उक्त नामांकन निरस्त कराने तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराने के लिए कहा जिस पर उन्होनें मना कर दिया तथा अन्य दिगर को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान करने की धमकी दी ।

4. अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हक हिस्से की काश्तकार है। साथ ही बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे किवादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1व 2 विक्रय नहीं करे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो जाये तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे पर वाद दायरी की स्थिति लाई जाने का आदेश पारित किया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। पत्रावली कायमी तनकियात में लंबित थी। हाल ही में दिनांक 22.11.2015 को अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से वाद पत्र के संबंध में जानकारी करने गुलाबपुरा गया तो अधिवक्ता द्वारा पता करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण में कैम्प कोर्ट में आदेश पारित कर दिया गया । इस पर दिनांक 22.11.2015 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 26.11. 2015 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.6.2015 को प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 की आपसी मिलीभगती से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया । जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण तनकियात कायमी में नियत था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम किये बिना तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ही विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को एवं न ही उसके अधिवक्ता को कोई सूचना दी एवं पत्रावली को बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये , जबकि अपीलाण्ट ही वाद को मुख्य रूप से लड रहा था , रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने तो वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 से दुरभि संधि एवं मिलाभगती कर रखी थी। इस कारण आपसी मिलाभगती से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

11. प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 4 फोर्मल पक्षकार है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

12. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिसे दिनांक 24.4.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2013 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.5.2013 नियत की गई। दिनांक 14.5.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुआ एवं अधिवक्ता राजेश पारीक की पहचान से अपना इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया । दिनांक 22.7.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामदयाल जाट अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 2.6.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण को तनकियात कायम करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.7.2014 में नियत किया गया। उसके उपरान्त प्रकरण तनकियात कायमी में लंबित चलता रहा । दिनांक 11.5.2015 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.7.2015 नियत की गई।

13. नियत तारीख पेशी से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 5. 6.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट भोजरास पर रखा गया । जिसमें वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मिश्री उपस्थित थे। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 मिश्री लाल की बहस को सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

14. अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 मिश्री ने दिनांक 14.5.2013 को ही इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वादीगण के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ही होकर उसके द्वारा जवाब दावा भी अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 2.6.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र का खण्डन किया है। जिसके फलस्वरूप प्रकरण कायमी तनकियात में लंबित रहा था। प्रकरण में दिनांक 11.5.2015 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.7.2015 नियत की गई परन्तु नियत दिनांक 27.7.2015 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 5.6.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट भोजरास में रखा गया । नियत तारीख से पूर्व प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है। जबकि प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये जाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में प्रकरण तनकियात कायमी में लंबित रहने के बावजूद प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई एवं बिना पक्षकारों को सूचित किये प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया । जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था। जबकि मूल वाद में उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड के आधार पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलाथी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.19 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा